# ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रामों में कराये जाने वाले कार्यों की रूप–रेखा।

गांवों में कृषि सम्बंधित और मवेशियों के अपशिष्ट सहित जैविक कचरे के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक तथा सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढ़े होने चाहिएं और प्लास्टिक कचरे के लिए समुचित पृथक्करण और एकत्रण प्रणाली होनी चाहिए। ग्रामों को उनकी आवश्यकता और परिपेक्ष्य के अनुसार तकनीकों का चयन करने की छूट होगी। ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य को ग्राम पंचायतों द्वारा किसी एजेंसी/व्यक्तियों के समूह को नियोजित करके या जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यान्वित किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों की संख्या और स्थान, ग्राम सभा/ब्लॉक/जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित और जैसा कार्य योजना में निर्दिष्ट है के अनुसार होनी चाहिए। विशेष रूप से ब्लॉक पर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों का चयन उनके पिछले कार्य अनुभव, तकनीकी क्षमता तथा कम भुगतान में अधिक कार्य के आधार पर ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु राजस्व ग्रामों में निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. अपशिष्ट की मात्रा कम करना।
2. अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना।
3. जैविक अपशिष्ट से खाद बनाना।
4. अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान करना।
5. अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करना।
6. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
7. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल करना।
8. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण करना।
9. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना।
10. अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन में सुधार करना।
11. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों, और निजी क्षेत्रों को शामिल करना।
12. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना।
13. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरीकरण की दीर्घकालिक रणनीति बनाना।
14. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
15. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल करना।

# प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर घरों से, वाणिज्य क्षेत्रों से, रेस्टोरेन्ट, बाजार आदि से डोर–टू–डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण करने की आवश्यकता है। जिसे ग्रामीण स्तर पर बने शेड तक ढुलाई कर आसानी से छटनी का कार्य किया जा सके। छटनी के उपरान्त विधिवत पैकेजिंग करने की आवश्यकता है। जिसको विक्रय हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र पर रिसाइकिल हेतु भेजा जा सके। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट में निर्मित शेड प्राप्त प्लास्टिक को बेंचा जायेगा, जिससे ग्राम के ओ0एस0आर0 में वृद्धि होगी।

उक्त प्रक्रिया को अपनाये जाने हेतु ग्राम वासियों का सहयोग आवश्यक है। तब जाकर ग्राम दृश्यमान स्वच्छता प्रदर्शित होगी। केन्द्र को संचालित किये जाने हेतु निम्न गतिविधियों पर कार्य किया जाना अनिवार्य है।

1. संग्रहण तथा एकत्रण केंद्रों से प्लास्टिक कचरे को विकास खण्ड स्तर पर ले जाना जहां प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक कचरे की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन होना अनिवार्य है।
2. प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और दुलाई के लिए, एक ही वाहन में जैविक और गैर–जैविक कचरे के लिए विभाजन बनाकर उपयोग किया जाना चाहिए।
3. विकास खण्ड के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाए और उसे इस योजना में शामिल किया जाए।
4. कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कबरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाए। प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए निजी अथवा SHG आधारित अंतिम उपयोग वाले उद्यमियों को बढ़ावा दें और उन्हें ग्राम अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर औपचारिक संविदा प्रदान करें और साथ ही उन्हें प्लास्टिक एकत्रण बिंदुओं से जोड़ा जाए।
6. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा पृथक्करण और संग्रहण प्रणालियाँ स्थापित किया जाना चाहिए।

# तरल कचरा प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) के लिए तरल कचरे प्रभावी प्रबंधन किया जाना चाहिए।

इसमें रसोई उपयोग और स्नान से सृजित गंदला पानी, और बरसाती पानी, नालियों और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सोक पिट् द्वारा, और सेप्टिक टैंकों के ओवरफ्लो से निकले गंदे पानी (ब्लैक वाटर) का, प्रबंधन शामिल किये जाना चाहिए।

स्नानागार या रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल जिसमें कोई मल संदूषण नहीं हो, ग्रे वॉटर कहलाता है। ग्रे वॉटर के उदाहरणों में स्नान, शॉवर, लॉण्ड्री और रसोई के सिक से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल है।

ग्रे वॉटर (गंदला जल) घर के कार्यकलापों के कारण पैदा होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं सास्कृतिक आदतों, रहन–सहन के स्तर, पारिवारिक जनसांख्यिकी और उपयोग किए जाने वाले घरेलू रसायनों जैसे कारकों पर निर्भर करती है। ग्रे वॉटर (गंदला जल) सबसे कम दूषित अपशिष्ट जल है जिसे बहुत कम मात्रा में उपचार की आवश्यकता होती है।

गांव में से वॉटर प्रबन्धन प्रणालियों पर लक्षित आबादी की जरूरतों और वरीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उपयुक्त स्तरों पर, कम संचालन व रख–रखाव लागत वाली सबसे उपयुक्त और आसान प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को उपयोग करने के लिए चुना जाना चाहिए।

छोटी ग्राम पंचायतो गावों में, अधिक विकेंद्रीकृत और घरेलू केन्द्रित वृष्टिकोणा जैसे व्यक्तिक सोक पिट्स/लीच पिट्स/मैजिक पिट्स का उपयोग अधिक व्यवहार्य और बेहतर होता है।

# मलीय कचरा प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा सेप्टिक टैंक में जमा होने वाला कचरा है जो कच्चा या आंशिक रूप से विघटित्त मिश्रण होता है जिसमें ज्यादातर मल और पानी होता है। मलीय कचरा प्रबंधन में सुरक्षित तरीके से ऑन–साइट सैनिटेशन सिस्टम से मलीय कचरे का संग्रहण, बुलाई, शोधन और निपटान शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, घरो में ऑन–साइट सफाई प्रणाली और मुख्य रूप से दो गढ्ढ़े वाले शौचालय जिनसे कोई मलीय कचरा उत्पन्न नहीं होता है, पर ज्यादा उपयोगी और विश्वसनीय है। तथापि, कुछेक घरों में विशेष रूप से घनी आबादी वाले या बड़े पेरी–अर्बन घरों में सेप्टिक टैंक या एकल गड्ढे वाले शौचालय होते हैं। सेप्टिक टैंक और एक्कल गड्ढे, उत्पन्न होने वाले ब्लैक वाटर का आंशिक रूप से शोधन करते है और इसलिए इनसे मलीय कवरा निकालने और उसके सुरक्षित तरीके से उपचारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ इलाकों में सेप्टिक टैंक और एकल गड्ढे वाले शौचालयों से बरताती पानी की नालियों या रास्तों में ओवरफ्लो होता रहता है। इसके अतिरिक्त, घर के ग्रे वॉटर को भी बाहर या आस–पास बहने वाली उसी नाली में बहा दिया जाता है। ऐसी नालियां अंततः जल निकायों में आकर मिलती है और उन्हें प्रदुषित करती है।

सेप्टिक टैंक से बहने वाला ब्लैक वाटर, एकल पिट से बहने वाला ब्लैक वाटर हमें मलीय कचरा और इसके शोधन की योजना क्यों बनानी चाहिए?

सेप्टिक टैंक मलीय तारे का शोधन नहीं करते, एकल गड्ढे में मलीय कवारा का शोशन करने के लिए गड्ढे को कई महीनो तक को अप्रयुक्त छोड़ने की आवश्यकता होती है।

जब एक सिगल पिट/सेप्टिक टैंक भर जाता है, तो शौचालय अवरुद्ध हो सकता है।

भरे हुए सेप्टिक टैंक से बहाव और मलीय कचरे का इधर उधर निपटान, बीमारियाँ फैलाने और पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण बनता है।

शौचालय का प्रयोग कर रहे घरों को यह नहीं पता होता कि कब कैसे मलीय कचरे को खाली करना होता है।

सेप्टिक टैंक एकल गड्ढ़ों को खाली करने वाले वैक्यूम ट्रक इसे आमतौर पर जल निकायों में या गांठ के बाहर खुले में असुरक्षित तरीके से डाल देते हैं।

FSTP के लिए स्थान की पहचान करते समय निम्नलिखित बिदुओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

1. स्थान के पास पहुँचने का मार्ग होना चाहिए और पहुंचने में आसानी होनी चाहिए।
2. मलीय कचर ढोने वाले वाहनी और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
3. यह किसी जल निकाय के निकट नहीं होना चाहिए।
4. इससे उस क्षेत्र के सौन्दर्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए।
5. यह किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र के निकट नहीं होना चाहिए।
6. विकास खण्ड स्तरीय मलीय कचरा प्रबन्धन की कार्यनीति का डिजाइन, विकास, आयोजना करना।
7. मलीय कचरे के 100 प्रतिशत सुरक्षित और स्थाई उपकरण, ढुलाई, शोधन और निपटान हेतु प्रणालियों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करना। जिले में मौजूदा STPS/FSTPS की उनकी क्षमता के साथ सूची बनाने और ट्रक बैंडर्स की सूची तैयार करने की आवश्याकता है।
8. ग्रे वाटर प्रबंधन और कार्यनीति और कार्यान्वयन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।
9. गैर–सरकारी संगठनों और निजी कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ताकि सुरक्षित और स्थाई सेवाएं प्राप्त की जानी चाहिए।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत या निजी संस्था द्वारा जिले में स्थापित मौजूदा सीटेज ट्रीटमेट संयंत्रों और मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्रों की संख्या, क्षमता और स्थान का आकलन अवश्य तैयार करना चाहिए।
11. मलीय कचरा निकालने वाले उपलब्ध ट्रकों की सख्या की सूची तैयार करें और उनको सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करें। क्षमताओं का निर्माण करे और उन्हें प्रमाणित करें। मौजूदा प्लांट का उपयोग करने के लिए 15–20 किमी के दायरे में गांडी ग्राम पंचायतों को मैप किया जा सकता है। दुलाई वाले ट्रक रिसाव मुक्त होने चाहिए।

## सामुदायिक स्वच्छता परिसर अन्तर्गत ग्रामों में कराये जाने वाले कार्यों की रूप–रेखा।

ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का 30ः भाग 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदानों से वहन किया जाएगा और शेष 70% SBM(G) चरण–II के तहत प्राप्त निधियों से प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान तय करेगी जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो और जहां दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब और प्रवासी मजदूरों/अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सार्वजनिक शौचालय परिसरों के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है जो धन या जगह की कमी के कारण व्यक्तिगत शौचालय नहीं बना सकते हैं और खुले में शौच का विकल्प चुनते हैं। इस तरह के परिसर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, टैक्सी स्टैंड आदि में उपयोगी विकल्प है, जहां लोगों की भीड़–भाड़ अधिक होती है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर से समुदाय में स्वस्थ स्वच्छता आदतों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। तथा यह भी सुनिश्चित होगा सबको स्वच्छता के साधन उपलब्ध हों। इस तरह के सामुदायिक स्वच्छता परिसर में उचित संख्या में टॉयलेट सीट, नहाने के केबिन, कपड़े धोने का स्थान, वॉश बेसिन आदि शामिल होने चाहिए।

स्वच्छता परिसर के लिए गांव में एक उपयुक्त स्थान का चयन शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। ऐसा स्थान आम तौर पर लक्षित समुदाय के भीतर उपलब्ध नहीं होता है। कभी–कभी शौचालय परिसर निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय जमींदारों के पास अप्रयुक्त स्थान उपलब्ध हो सकता है। जहां तक जमींदारों का संबंध है, ग्राम पंचायत और समुदाय को ऐसे जमींदारों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें स्वच्छता परिसर के लिए स्थान प्रदान करने के लिए सहमत करना चाहिए।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर ऐसी सुविधा है जिसका निर्माण उस स्थिति में किया जाता है जब वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए कोई अपेक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो। इसका उपयोग, स्वामित्त्व और रख–रखाव समुदाय के सदस्यों या स्थानीय शासन द्वारा किया जाता है। यह बस्तियों के आस–पास होना चाहिए। यह आम तौर पर समुदाय के भीतर उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां लोग रहते हों। सामुदायिक शौचालय में, समुदाय की जरूरतों के अनुसार, नहाने की सुविधा या कपड़े धोने का स्थान जैसी अन्य सुविधाएं भी हो सकती है।